

रेफरेंस संख्या -2021/mmp/12

E-Newsletter, Issued in Public Interest

सोमवार, 8 फरवरी 2021



जे.डी.ए. के ज़ोन-1 में स्थित भूखंड संख्या D-671 मालवीय नगर में बिना अनुमित के आवासीय परिसर में चल रहा अवैध कपड़ों का शोरूम " विष्णु स्टोर"

पेज 1

		प्रथम सुचना रिपोर्ट		
1.	भूखंडो का पता		D-671 गौरव टावर रोड,मालवीय नगर जयपुर	
2.	संचालित गतिविधि		व्यवसायिक शोरूम	
6.	उल्लंघन की संभावित प्रकृति		बिना नक्त्शे पास करवाए एवं बिना अनुमति,बिना भवन विनियमों की पालना के आवासीय परिसर में व्यवसायिक गतिविधियाँ	
7.	सम्बंधित ज़ोन		जे.डी.ए. ज़ोन-1	
8.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी(प्रवर्तन स्तर पर)		प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान	
9.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक		08/02/2021	

जवाब मांगते सवाल?

- क्या भवन मालिक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से इस भूखंड का भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
- 2. क्या भवन मालिक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से भवन विनियमों के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
- 3. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया जा रहा है?
- 4. क्या भवन मालिक द्वारा इन दुकानों की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
- 5. क्या भवन मालिक द्वारा इन दुकानों का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
- 6. यह मामला जे.डी.ए./नगर निगम के आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद
 यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को आंच नहीं आती तो क्या सक्षम प्राधिकरण के जिम्मेदार
 अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है?
- क्या जे.डी.ए./नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
- 8. क्या इस अवैध निर्माण के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है?क्यों उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?
- 9. क्या राजनैतिक रसूखात है इस अवैध बिल्डिंग के मालिक के?
- 10. अब तक कितनी अवैध बिल्डिंगे बना चुका है इस भूखंड का मालिक?

अवैध निर्माण नहीं रोक्नुना भी भ्रष्टाचार

दिखाई सख्ती

जयपर @ पत्रिका . अवैध निर्माण हित अन्य अवैध गतिविधियां नहीं किने वाले लोकसेवको पर भ्रष्टाचार नरोधक कानून के तहत कार्रवाई का पस्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध सहित तिविधियों पर सखती दिखाते हुए प्रोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे में जानकारी के लिए प्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रेल को जयपुर वकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर नगम आयुक्त को तलब किया है। जज महेश चन्द्र शर्मा ने हनलाल नामा की अवमानना वाचिका पर वह आदेश दिया। इंकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में 22 जनवरी 2015 को अभ्याबेदन देने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपश्च की ओर से अध्यवक्ता विमल चीधरी ने कोर्ट को ताया कि जयपुर शहर में अवीध माँण व कब्जे हो रहे हैं। कोर्ट के आदेशों की अवसानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जों को रोकने के तए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस

पर संवाल खड़ा करते हुए कहा वि इन अधिकारियों और कर्मचारियों वे खिलाफ प्राथां जरियक कानृन वे तहत कार्रवाई की जा सकती है य नहीं? जवाब के लिए प्रष्टाचा निरोधक ब्यूगे के महानिरीधक दिन्छ एम एन को तलब किया। उन्होंने प्राथित्व के प्रति अनर्रवी को भी प्रष्टाचार की श्रेणी में माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्सता जो एस विल ने कहा कि अधैण निर्माण बा अधैण गतिर्विधयां रोकन के लिए जिम्म्येटा अधिकारी या कर्मचारी जानक्ष्रकर कार्रवाई न करे वा अनरेट्डी करे तो उसके खिलाफ प्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आरेश दिया कि मामले में कोई अगरेश दिया कि मामले जायुर किकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तल्ख किंग आयुक्त से जवाब

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पश्च रखना चाहे तो वह सुनवाई के चौरान पश्च रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सुबह 11 सने होगी।